राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांकः—एफ 9 / सहायता / 2022 / 5752 दिनांकः—21/09/2022

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2022 के दौरान बारां जिले में हुई अतिवृष्टि / बाढ / जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के तत्काल रेस्टोरेशन हेतु शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(21)आ.प्र.एवं सहा. / प्रस्ताव / बाढ / 2022 / 11195—200 दिनांक 15.09.2022 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 46 / 2022—23 के अनुसार बजट मद 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02—बाढ, चक्रवात आदि, 107— खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना, 02—बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत 01— बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत, 21— अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)के अन्तर्गत निम्नाकित मरम्मत कार्यों के लिए 73.50 लाख की जिला स्तरीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बारां को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यो की तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब जारी कर भिजवाऐ।

कार्यकारी एजेन्सी— मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बारां

क्र.सं.	नाम तहसील (ब्लॉक)	क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
1	बारां	रा.प्रा.वि.चौपना बस्ती	1.50
2	बारां	रा.प्रा.वि.शाहाबाद वार्ड	1.50
3	बारां	रा.प्रा.वि.लंका कॉलोनी	1.50
4	बारां	रा.प्रा.वि.गोपाल कॉलोनी	1.50
5	बारां	रा.प्रा.वि.सहरिया बस्ती कोयला	1.50
6	बारां	रा.प्रा.वि.विजयपुर	1.50
7	बारां	रा.प्रा.वि.मेलखेडी छापर	1.50
8	बारां	रा.प्रा.वि सुसावन बस्ती	1.50
9	अन्ता	राप्रावि लदवाड़ा	1.50
10	मांगरोल	राप्रावि बलदेवपुरा	1.50
11	अटरू	राप्रावि महराजपुरा	1.50
12	अटरू	राप्रावि महुआखेडा	1.50
13	अटरू	राप्रावि डडवाडा	1.50
14	अटरू	राप्रावि कालबेलिया बस्ती अटरू	1.50
15	अटरू	राप्रावि बानपुर	1.50
16	अटरू	राप्रावि खेडलीमाजर	1.50
17	अटरू	राप्रावि काचरी	1.50
18	छबडा	राप्रावि जाला	1.50
19	छबडा	राप्रावि डांगपुरा	1.50
20	छबडा	राप्रावि सोलतपुरा	1.50
21	छबडा	राप्रावि कोटरी	1.50
22	छबडा	राप्रावि कांसल	1.50
23	छबडा	राप्रावि खेडलीमजरा	1.50
24	छीपाबडौद	रा.प्रा.वि. नलखेडी	1.50
25	छीपाबडौद	रा.प्रा.वि. टोलखेडा	1.50
26	छीपाबडौद	रा.प्रा.वि. पुरानी बस्ती पीथपुर	1.50
27	छीपाबडौद	रा.प्रा.वि. कुंण्डीखेडा	1.50
28	छीपाबडौद	रा.प्रा.वि. पटपडी	1.50
29	छीपाबडौद	रा.प्रा.वि. शाखाजागीर	1.50
30	छीपाबडौद	रा.प्रा.वि. हरनावदी जागीर	1.50
31	छीपाबडौद	रा.प्रा.वि. रूपपुरा	1.50
32	छीपाबडौद	रा.प्रा.वि. परोलिया	1.50
33	किशनगंज	राप्रावि रामपुरिया लाखाखेडी	1.50
34	किशनगंज	राप्रावि गणेशपुरा	1.50
35	शाहाबाद	राप्रावि सनगवां	1.50
36	शाहाबाद	राप्रावि आमझिरी	1.50

37	शाहाबाद	राप्रावि रानीपुरा खटका	1.50
38	शाहाबाद	राप्रावि कालामाल	1.50
39	शाहाबाद	राप्रावि कमलखेडा	1.50
40	शाहाबाद	राप्रावि जाबडा	1.50
41	शाहाबाद	राप्रावि खिरखिरी	1.50
42	शाहाबाद	राप्रावि पाटनक्षेत्र	1.50
43	शाहाबाद	राप्रावि सेमरा	1.50
44	शाहाबाद	राप्रावि अमरपुरा ढिकवानी	1.50
45	शाहाबाद	राप्रावि नुकर्रा	1.50
46	शाहाबाद	राप्रावि घोघरा	1.50
47	शाहाबाद	राप्रावि हरियानगर	1.50
48	शाहाबाद	राप्रावि मटियाखारा	1.50
49	शाहाबाद	राप्रावि नागौरी	1.50
योग			**73.50**

उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :—

1. कार्यकारी एजेन्सी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बारां होगी। निर्माण कार्यों का निष्पादन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
2. इस स्वीकृति के तहत प्रारम्भ कार्य 30 दिवस के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा।
3. सम्पादित कार्यों की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2022—23 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ, कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल कार्य समाप्ति के एक सप्ताह में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. डिफेक्ट लाईबिलिटि अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यों पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावें।
5. उक्त स्वीकृत कार्यों को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावें कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।
6. यह प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित विद्यालय भवनों का उपयोग निरन्तर लिया जा रहा है।
7. कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
8. कार्यो का निष्पादन वितीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।
9. एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों एवं नौर्म्स की पालना की जाना आवश्यक होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
10. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
11. ''कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है'' इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

क्रमांकः—एफ 9/सहायता/2022/ 5753-68
दिनांकः—21/09/ 2022

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बारां को उक्त कार्यो की अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने हेतु ।
5 उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बारां।
6 अधिशाषी अभियन्ता समग्र शिक्षा बारां।
7 कोषाधिकारी, बारां।
8 प्रभारी अधिकारी, लेखा/केश अनुभाग, जिला कलक्टर, बारां।

अति0जिला कलक्टर
बारां